जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत नियमित जलापूर्ति में आ रही सम्भावित बाधाओं का आंकलन कर निर्बाध जलापूर्ति कराये जाने तथा नगर पालिका परिषद, मीरजापुर की क्षतिग्रस्त सड़को के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।

तिथि : 11.05.2026

समय : मध्यान्ह् 12:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मीरजापुर

उपस्थिति : श्री रत्नाकर मिश्रा, मा0 विधायक, नगर विधानसभा, मीरजापुर।

श्री रमाशंकर सिंह पटेल, मा0 विधायक, मड़िहान विधानसभा, मीरजापुर।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य, मा0 विधायिका, मझवाँ विधानसभा, मीरजापुर।

मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।

अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।

जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापर।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-कछवाँ, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर।

समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि/यॉ), जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।

अधिशासी अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड-चुनार, मीरजापुर।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि/यॉ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।

सहायक अभियन्ता, सिरसी बान्ध प्रखण्ड, मीरजापुर।

सहायक अभियन्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी।

अवर अभियन्ता, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई (ग्रामीण), वाराणसी।

टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।

समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

Scanned with CamScanner

जनपद मीरजापुर में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लेते हुये माननीय विधायक/विधायिका, विधान सभा क्षेत्र-नगर/मड़िहान/मझवां की उपस्थिति में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं अमृत योजना (सीवरेज/पेयजल) की गहन एवं व्यापक समीक्षा करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

माननीय विधायकगणों के द्वारा की गयी शिकायतों का विवरण :-

बैठक के दौरान जनपद के माननीय विधायकगणों द्वारा अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जलापूर्ति की स्थिति, पाइप लाइन बिछाने एवं पाइप लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त किये गये सड़कों के मरम्मत की दर्ज करायी गई शिकायतों का विवरण निम्नवत् है –

Compliance of MLA Visit Report

Sr. No.	Name of Vidhan sabha	Total Number of complain	Total Number of issue resolve	Total Number of Partial Village	Total Number of Pending Complain
1	Chanbey	11	7	4	4
2	Chunar	10	1	9	9
3	Madihan	25	12	13	13
4	Majhawa	15	5	10	10
5	City (Nagar)	6	0	6	6
Total		**67**	**25**	**42**	**42**

उपरोक्त के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त तालिका के आधार पर किये जा रहे कार्यो की अत्यन्त धीमी प्रगति एवं फील्ड स्तर पर हो रही लापरवाही में काफी रोष व्यक्त करते हुये समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि माननीय विधायकगणों के द्वारा बताये गये शिकायतो का निस्तारण 10 दिवस के भीतर प्राथमिकता के आधार पर मैनपावर में वृद्धि करते हुये सभी ग्रामों में नियमित (प्रातः एवं सायं) जलापूर्ति यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक/ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

1. **पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की प्रगति :-**

बैठक में अवगत कराया गया कि कुल 154 कि0मी0 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पाई गई जिसमें कुल 105 कि0मी0 पाइप लाइन मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 48 कि0मी0 का कार्य पूर्ण करना अवशेष है। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी चेतावनी के साथ समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर में वृद्धि करते हुये अवशेष पाइप लाइन मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाते हुये नियमित जलापूर्ति सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें। बिना पूर्व समन्वय के किसी अन्य विभागों के द्वारा खुदाई/निर्माण कार्य नही किया जायेगा। यदि किसी अन्य विभागों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं के तहत कराये जाने वाले कार्यो के दौरान जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जायेगा अथवा क्षतिपूर्ति देना होगा।

Scanned with CamScanner

2. **<u>मानव संसाधन में वृद्धि</u> :–**

समस्त परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर मैनपावर में पर्याप्त वृद्धि करे। प्रत्येक साइट पर आवश्यक तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त संस्थाओं को मौखिक एवं लिखित रूप से निर्देश दिये जाने के बावजूद भी संस्थाओं द्वारा मैनपावर में वृद्धि नही किया जा रहा है। तद्क्रम में सभी संस्थाओं के स्टेट हेड को नोटिस पत्र जारी करते हुये उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने तथा ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही हेतु कार्यवाही करें।

3. **<u>डी0पी0आर0 अन्तर्गत एवं बाहर के ग्राम</u> :–**

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों में शत्-प्रतिशत जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें एवं डी0पी0आर0 से बाहर के ग्रामों की सूची तैयार कराकर प्रेषित करें।

4. **<u>जल उपलब्धता (ग्रीष्मकाल)</u> :–**

अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड–चुनार/सिरसी बान्ध प्रखण्ड/मीरजापुर नहर प्रखण्ड को निर्देशित किया गया कि डैम में पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करें तथा जल स्तर की सतत् निगरानी की जाये।

5. **<u>विद्युत आपूर्ति (ग्रीष्मकाल)</u> :–**

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम/द्वितीय/चुनार एवं खण्ड कार्यालय (वि/यॉ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि गर्मी के दिनों के दृष्टिगत जल जीवन मिशन परियोजना में निर्बाध विद्युत आपूर्ति ससमय कराना सुनिश्चित करे तथा किसी भी तकनीकी बाधा को तत्काल प्रभाव से दूर करें ताकि जलापूर्ति प्रभावित न होने पाए।

बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारी/कार्यदायी संस्थाओं को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित <u>किया गया</u> :–

- समस्त सहायक/अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रूप से खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त समस्याओं का निराकण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक ग्राम चौपाल में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि/सुपरवाइजर/पम्प आपरेटरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। ग्राम चौपाल प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते/कराते हुए अनुपालन आख्या सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें तथा कृत कार्यवाही से अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर को अवगत करायें।
- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों अन्तिम रूप से चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना से सम्बन्धित समस्त अवशेष कार्य दिनांक 25 मई, 2026 तक 100 प्रतिशत पूर्ण करते हुए रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं और उत्तरदायी अधिकारियों/अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक व अधिकारी/अभियन्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Scanned with CamScanner

- टीम लीडर टी0पी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सभी राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की धरातलीय जाँच कर विस्तृत रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें तथा अवशेष रोड रेस्टोरेशन, जो सड़क मानक के अनुसार नही बनाई गई है उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त इस बात की विशेष ध्यान दिया जायेगा कि जो भी सड़क बनाई जायेगी, उस सड़क/सी0सी0रोड में अहरौरा की गिट्टी कदापि न उपयोग किया जाए। केवल डाला की गिट्टी से सड़क/सी0सी0रोड का निर्माण कराया जाए।

- समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले <u>राजस्व ग्रामों में शत्-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य</u> पूर्ण कराया जाये, क्यों कि जनपद में नामित समस्त आधिकारीगणों/विधायकों एवं ग्रामनिवासियों द्वारा प्रतिदिन दूरभाष एवं लिखित रूप से पूर्व निर्मित सड़क खोदकर पुनः ठीक न कराए जाने से सम्बन्धित समस्या से अवगत कराया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में लापरवाही की जा रही है खराब सड़को की वजह से स्थानीय ग्रामवासियों को यातायात सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- समस्त संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि माननीय विधायकगणों द्वारा अवगत कराये गये राजस्व ग्रामों यथा-शेरवॉ, लठिया सहजनी, जाफरखानी, छित्तमपुर के मुसहर बस्ती, गोल्हनपुर, मदनपुर के मौर्या/पाल/मुसहर बस्ती, गोपालपुर, गोबरदहा के गोड़ बस्ती, मानिकपुर के पहाड़ी पर स्थित घरों, चेकसारी, गोबरदहा, कमासिन, सेमरा, विजयपुर, कचरिया के पास 05 स्थलों पर लिकेज, राजापुर, महुवाडीह, बबुरा, शिवगढ़, छव्हां इत्यादि ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है। जिसे तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर नियमित रूप से जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें तथा जलापूर्ति प्रारम्भ होने के उपरान्त सम्बन्धित मा0 विधायकगण को अवगत करायें।

- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 एवं परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था जी0ए0 इन्फ्रा लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए चील्ह से गोपीगंज मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान जल जीवन मिशन योजना की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का स्थलीय निरीक्षण कर नवनिर्माण/मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करायें तथा भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न होने पाए।

- दिनांक 08.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकास खण्ड-राजगढ़ के राजस्व ग्राम ददरा मु0 रामपुर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान तालर योजना के तहत दिये गये नल कनेक्शन में ग्राउटिंग नही पायी गयी, जो मानक के अनुरूप नही है। इस सम्बन्ध में समस्त परियोजना प्रबन्धक व सम्बन्धित सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता कि सभी नल कनेक्शनों की ग्राउटिंग करायें। यदि भविष्य ऐसा पाया जायेगा, तो सम्बन्धित सहायक/अवर अभियन्ता के विरुद्ध विरुद्ध कठोर कार्यवाही कि जायेगी।

- जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्थापित कुल हैण्डपम्पों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए अक्रियाशील हैण्डपम्पों को एक सप्ताह के

Scanned with CamScanner

अन्दर प्रत्येक दशा में कियाशील करायें तथा हैण्डपम्पों से सम्बन्धित सूचना अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर को उपलब्ध करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न किया जाय।

- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर को अन्तिम रूप से चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि अमृत योजना (सीवरेज/पेयजल) से सम्बन्धित समस्त अवशेष कार्यो को पूर्ण कराते हुए नगर पालिका परिषद, मीरजापुर क्षेत्रान्तर्गत खोदी गई सड़को का मरम्मत/नवनिर्माण प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर करा दिया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाली संस्थाओं/अभियन्ताओं/ अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक-**1106** /आ0लि0-नमामि गंगे-2026 दिनांक **14** मई, 2026

---000---

प्रतिलिपि- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मा0 विधायकगण, विधान सभा क्षेत्र-नगर/मड़िहान/चुनार/छानबे व मझवाँ, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
6. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
7. जिला विकास अधिकारी, मीरजापुर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापर।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं चुनार, मीरजापुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड, मीरजापुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
14. अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
15. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड-चुनार/सिरसी बान्ध प्रखण्ड/मीरजापुर नहर प्रखण्ड।
16. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर।
17. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई (ग्रामीण), भगवानपुर, वाराणसी।
18. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
19. टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
20. अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

Scanned with CamScanner